टैक्सफेड की खाली जमीनों पर जल्द बसेंगी नई इकाइयां, 150 करोड़ जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ की बंद बड़ी मिलों पर नई औद्योगिक इकाइयों की जल्द स्थापना होगी। इस दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने टैक्सफेड पर बकाया 571 करोड़ रुपये में से 150 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस रकम से अंशधारकों, सदस्यों और अन्य देनदारियों का भुगतान कर जमीन पर देय शुल्कों को खत्म किया जाएगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत आए प्रस्ताव के लिए ये जमीन दी जाएगी।

उप सचिव निर्मेष कुमाार शुक्ल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की मिलों के शासकीय अन्य मदों में 575 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसमें 382 करोड़ मूल रकम के साथ अनुपूरक बजट में 193 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था।

इसके तहत कताई मिल्स संघ ने 150 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस रकम से कई तरह के बकाया भुगतान किए जाएंगे। वर्ष 1998-99 में डिबेंचर बॉन्ड से राशि प्राप्त की गई थी। इसमें कुल 45 बॉन्डधारकों को भुगतान नहीं किया जा सका था। पिछले वित्त वर्ष में 10 बॉन्डधारकों को एकमुश्त समाधान योजना के तहत राशि दी गई। चार को इस वर्ष फरवरी में दिया गया। 15 बॉन्डधारक उपस्थित नहीं हुए। उनको देने के लिए चार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अमरोहा, गाजीपुर, बरेली, संत कबीर नगर, फरुखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, सीतापुर और इटावा की मिलों के अंशधारकों पर 88 लाख रुपये बकाया हैं। ऐसी सभी देनदारियों के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ब्यूरो